



हिमाचल प्रदेश वन पारितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
जापान सरकार (JICA) द्वारा वित्त पोषित परियोजना

व्यवसाय योजना

आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि-(केंचुआ खाद)

हरिओम स्वयं सहायता समूह

-द्वारा निर्मित



एसएचजी /सीआईजी नाम	::	हरी ओम
वीएफडीएस नाम	::	हरिओम
वन परिक्षेत्र	::	मंडी
वन मंडल	::	मंडी

विषय-सूची

पृष्ठभूमि	3
1. एसएचजी/सीआईजी का विवरण	4
2. लाभार्थियों का विवरण:	5
3. गांव का भौगोलिक विवरण	5
4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का	6
5. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण	6
6. उत्पादन योजना का	7
7. विपणन / बिक्री का विवरण	7
8. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण	8
9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	8
10. आर्थिक विवरण	9
11. आर्थिक विश्लेषण के अनुमान	12
12. निधि की आवश्यकता:	12
13. निधि के स्रोत:	12
14. बैंक ऋण चुकौती	13
15. प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन	13
16. निगरानी तंत्र	13

पृष्ठभूमि

सरल उत्पादन तकनीकों, पारिस्थितिक, आर्थिक और इससे जुड़े मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण वर्मी कम्पोस्टिंग देश में एक मजबूत मुकाम हासिल कर रहा है। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, उद्यमियों द्वारा सरकारी सहायता के तहत/तकनीकी मार्गदर्शन के साथ, बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्टिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं।

वर्मीकम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो अपने स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

वर्मीकम्पोस्टिंग

पालन/उपयोग के माध्यम से कम्पोस्ट का उत्पादन वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत, केंचुए बायोमास खाते हैं और इसे पचे हुए रूप में उत्सर्जित करते हैं जिसे वर्मीकम्पोस्टिंग या वर्मीकम्पोस्ट के रूप में जाना जाता है। यह छोटे और बड़े पैमाने के किसानों दोनों के लिए खाद बनाने के लिए सबसे सरल और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि में स्थापित की जा सकती है जो किसी भी आर्थिक उपयोग के अधीन नहीं है बल्कि छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त है। साइट को जल संसाधन के पास भी होना चाहिए

वर्मीकम्पोस्टिंग, जिसे "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाता है और खेती की लागत को कम करता है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मीकम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

1. एसएचजी/सीआईजी

एसएचजी/सीआईजी का विवरण नाम	::	हरिओम महिला एसएचजी
वीएफडीएस	::	हरिओम
वन परिक्षेत्र		मंडी
वन मंडल	::	मंडी
गांव	::	सकरोहा
विकास खंड	::	बल्ह
जिला	::	मंडी
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	10 - महिला
गठन की तिथि	::	10/2020
बैंक खाता संख्या	::	871613000-93794
बैंक विवरण	::	पंजाब एंड सिंध नेर चौक
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	रु. 100.00 प्रति सदस्य
कुल बचत		रु. 4000 अप्रैल 2022 तक
कुल अंतर-ऋण		-
नकद ऋण सीमा		50%
चुकोती स्थिति		बहुत अच्छी

2. लाभार्थी विवरण:

क्र मां क.	नाम	पिता/पति	आयु	वर्ग	आय स्रोत	पता
1	श्रीमती अंतरा देवी	श्री महेंद्र सिंह	50	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
2	श्रीमती सपना देवी	श्री. संजू	32	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
3	श्रीमती धर्मी देवी	श्री. तारा चंद	36	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
4	श्रीमती चंपा देवी	श्री नोखु राम	39	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
5	श्रीमती पवनी देवी	श्री. कनोरू	48	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
6	श्रीमती सोमा देवी	श्री तुलसी राम	43	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
7	श्रीमती नर्वदा देवी	श्री. पूरन	47	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
8	श्रीमती बिमला देवी	श्री. चेत राम	63	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
9	श्रीमती मीरा देवी	श्री. शिव राम	45	अ० सु०	कृषि	सकरोहा
10	श्रीमती प्रियंका	श्री. कश्मीर सिंह	23	अ० सु०	कृषि	सकरोहा

3. गांव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	10 किमी
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	200 मीटर
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	नेरचौक 10 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम और दूरी		मंडी, 13 किमी
3.5	नाम मुख्य शहरों और दूरी की		मंडी, 13 किमी
3.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	नेरचौक, मंडी

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	::	केंचुआ खाद
4.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है और समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय किया गया है
4.3	एसएचजी/सीआईजी/ सदस्य सहमति	::	हां (अनुलग्नक -1)

5. उत्पादन प्रक्रियाओं का

चरण	विवरण
चरण -1	प्रसंस्करण जिसमें घास फूस का संग्रह, और जैविक कचरे का भंडारण शामिल है।
चरण-2	जैविक कचरे का बीस दिनों के लिए पशुओं के गोबर के घोल के साथ सामग्री को ढेर करके पूर्व पाचन। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से सामग्री को पचाती है और केंचुआ खपत के लिए उपयुक्त है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस के घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं करना चाहिए।
चरण-3	केंचुआ क्यारी तैयार करना। वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी कीड़े को मिट्टी में जाने देगी और पानी देते समय, सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाते हैं।
चरण-4	वर्मी-कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कंपोस्ट की गई सामग्री को अलग करने के लिए कंपोस्ट की गई सामग्री को छान लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट की गई सामग्री को फिर से वर्मी कम्पोस्ट बेड में डाल दिया जाएगा।
चरण-5	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करना।
चरण-6	10X4X2.5 का ईटों का पका गड्ढा बनाया जाएगा और उसे पानी से बचाने के लिए छप्पर का प्रावधान होगा

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	45 दिन (एक वर्ष में 3-4 चक्र)
6.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (संख्या)	::	1
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घरेलू और अपने खेतों से
6.4	संसाधन के अन्य स्रोत		स्थानीय बाज़ार
6.5	कच्चा माल - प्रति सदस्य प्रति चक्र (किलोग्राम) आवश्यक मात्रा	::	1800 किलोग्राम प्रति चक्र
6.6	प्रति सदस्य प्रति चक्र (किलोग्राम) अपेक्षित उत्पादन	::	900 किलोग्राम प्रति चक्र

7. विपणन / बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाजार स्थान	::	स्थानीय बाजार खेत का उपयोग
7.2	दूरी	::	
7.3	मांग	::	दैनिक माग
7.2	बाजार के पहचान की प्रक्रिया		समूह के सदस्य अपनी उत्पादन क्षमता और बाजार में मांग के अनुसार खुदरा विक्रेता/थोक विक्रेता का चयन/सूचीबद्ध करेंगे। प्रारंभ में उत्पाद निकट बाजारों में बेचा जाएगा।
7.5	उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति		एसएचजी सदस्य भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों का पता लगाएंगे।
7.6	उत्पाद की ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद की ब्रांडिंग करके उत्पाद का विपणन किया जाएगा। बाद में इस गतिविधि को सामूहिक स्तर (क्लस्टर) पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
7.7	उत्पाद "नारा"		"पर्यावरण हितैषी"

8. स्वोट विश्लेषण

❖ ताकत

- गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है
- एसएचजी के प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 3 मवेशी हैं
- उनके खेतों में आसानी से उपलब्ध कच्चा माल
- निर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों के साथ सहयोग करेंगे
- टिकाऊ क्षमता ज्यादा है

❖ कमजोरी

- विनिर्माण प्रक्रिया / उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव
- तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ अवसर

- जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों के बीच जागरूकता के कारण वर्मी-कम्पोस्ट की बढ़ती मांग
- अपने स्वयं के खेत में वर्मी-कम्पोस्ट का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने और बढ़ाने और गुणवत्ता को लम्बे समय तक बनाएगा और उपज को बेहतर कीमत करेगा।

❖ खतरे

- मौसम में अत्यधिक बदलाव के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण / क्षमता वृद्धि और कौशल में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- उत्पादन - कच्चे माल की खरीद सहित व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा
- गुणवत्ता आश्वासन - सामूहिक
- सफाई और पैकेजिंग - सामूहिक
- विपणन - सामूहिक
- इकाई - मूल्यांकन

10. आर्थिक विवरण

(वास्तविक रुपये में राशि)

क्र.सं.	विवरण	इकाइयां	मात्रा/संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
A	पूंजीगत लागत								
A.1	गड्डे और शेड का निर्माण								
1	निर्माण के साथ-साथ श्रम लागत (गड्डे का आकार आंतरिक 10ftX4ftX2ft होगा)	प्रति सदस्य	10	6000	60000	0	0	0	0
2	कवर शेड का	प्रति सदस्य	10	4000	40000				
	कुल (ए.1)				100000	0	0	0	0
A.2	मशीनरी और उपकरण								
3	उपकरण, उपकरण, भारत्तोलन आदि।	प्रति सदस्य	10	2000	20000	0	0	0	0
	उप-कुल (ए.2)				20000	0	0	0	0
	कुल पूंजीगत लागत (ए.1+ए.2)				120000	0	0	0	0
B	आवर्ती लागत								
4	केंचुआ बीज	प्रति किग्रा	10	500	5000	0	0	0	0
5	स्लरी/गोबर/अपशिष्ट	प्रति टन	54	900	48600	51030	53582	56261	59074

6	श्रम लागत	प्रति टन	27	700	18900	19845	20837	21879	22973
7	पैकिंग सामग्री	संख्या	4200	2	8400	8820	9261	9724	10210
8	अन्य लागत	प्रति टन	27	150	4050	4253	4465	4688	4923
C	अन्य प्रभार								
10	बीमा	एल/एस			0	0	0	0	0
11	ऋण पर ब्याज	प्रति वर्ष		2 प्रतिशत	3000	3000	3000	3000	3000
	कुल आवर्ती लागत				87950	86948	91145	95552	100180
	कुल लागत = पूंजी और आवर्ती लागत				207950	86948	91145	95552	100180
D	वर्मीकम्पोस्टिंग से आय								
12	वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री	टन	27	6000	162000	170100	178605	187535	196912
13	केंचुआ की बिक्री					5000	10000	10000	10000
13	कुल राजस्व				162000	175100	188605	197535	206912
13	शुद्ध लाभ (सी - बी)				74050	88152.5	97460.13	101983	106732.3

नोट - चूंकि एसएचजी सदस्य श्रम कार्य आदि जैसी कुछ गतिविधियां करेंगे और उनकी भूमि पर वर्मी कम्पोस्ट पिट स्थापित किया जाएगा, इसलिए आवर्ती लागत (भूमि का पट्टा, श्रम लागत, अन्य विविध खर्च) से कटौती की जा सकती है कुल आवर्ती लागत।

आर्थिक विश्लेषण

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	
1	पूंजी लागत	120000	0	0	0	0	
2	आवर्ती लागत	87950	86948	91145	95552	100180	
3	कुल लागत	207950	86948	91145	95552	100180	581774
4	कुल लाभ	162000	175100	188605	197535	206912	930152
5	शुद्ध लाभ	-45950	88153	97460	101983	106732	348378
6	लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	581774					
7	लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	930152					
8	लाभ लागत अनुपात	1.60					

11. आर्थिक विश्लेषण के परिणाम

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्डे के आकार की योजना 10X4X2 फीट रखी गई है।
- वर्मी कम्पोस्ट की उत्पादन लागत रु. 3.3 प्रति किलोग्राम
- वर्मी-कम्पोस्ट की बिक्री रु. 6 प्रति किग्रा (काम से काम मूल्य पर)
- शुद्ध लाभ रु. 2.7 प्रति किलोग्राम
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 2.7 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में एसएचजी के सभी 11 सदस्यों द्वारा 30 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाएगा।
- केंचुआ की रु 500 प्रति किलोग्राम कीमत रखी गई है
- दूसरे वर्ष के दौरान केंचुए बिक्री के लिए उपलब्ध हों जाएंगे (क्योंकि यह वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कई गुना बढ़ जाएंगे)
- वर्मी-कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आईजीए है और इसे एसएचजी सदस्यों द्वारा लिया जा सकता है।

12. निधि की आवश्यकता:

क्रम. सं.	विवरण	कुल राशि (रु)	परियोजना सहायता	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजीगत लागत	120000	90,000	30,000
2	कुल आवर्ती लागत	87950	0	87950
3	प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल वर्धन	50000	50000	0
	कुल =	257950	140000	117950

ध्यान दें-

- पूंजीगत लागत- 50 %पूंजीगत लागत परियोजना के द्वारा वहन किया जाएगा (75% अनुसूचित जाती तथा महिलाओं के लिए)
- आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाना।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

13. निधि के स्रोत:

परियोजना सहायता;	<ul style="list-style-type: none"> • पूंजीगत लागत का 75% उपयोग मशीनरी की खरीद के लिए किया जाएगा अर्थात उपकरण सहित 1 ग्राइंडर मशीन । (आकार 10ftX4ftX2ft होगा) • 1 लाख रुपये परिक्रामी निधी (revolving fund) के रूप में SHG बैंक खाते में पार्क किए जाएंगे (बैंक ऋण लेने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए) • प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल अप - ग्रेडेशन लागत। • यदि एसएचजी बैंक से ऋण लेता है तो डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। एसएचजी को मूल राशि की किश्तों का भुगतान नियमित आधार पर करना होता है। 	सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करते हुए संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा पिट एवं शेड/पिट एवं शेड के निर्माण हेतु सामग्री की खरीद की जायेगी।
एसएचजी योगदान	<ul style="list-style-type: none"> • पूंजीगत लागत का 25% एसएचजी द्वारा वहन किया जाएगा। • द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत 	

14. बैंक ऋण चुकौती

यदि बैंक से ऋण लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूलधन का बैंकों को साल में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।
- परियोजना सहायता - डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा

15. प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- परियोजना अभिविन्यास समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आईजीए (सामान्य)
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम विकास
- एक्सपोजर का परिचय एसएचजी/सीआईजी का दौरा – राज्य और राज्य के बाहर राज्य

16. निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

अनुलग्नक -2

समूह के सदस्यों की तस्वीरें -

